


सकित महुडा शुद्धि किया जाना आवश्यक है। अतः प्रकरण का विवेचन करने पर वादीगण को अनुतोष प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

आज्ञा

ग्राम महुडा खाता सं० 35 कुल खेत 4 कुल रकबा 10.20 एकड़ में दर्ज बापु पिता मावजी के बजाए बलु पिता मावजी, नगजी पिता मावजी के बजाए बारु पिता मावजी एवं ग्राम वरसाला के खाता सं० 81 कुल खेत 5 कुल रकबा 17.44 एकड़ में दर्ज बाबु पिता मावजी के बजाए बलु पिता मावजी, नारजी पिता मावजी के बजाए बारु पिता मावजी दर्ज किये जाने की आज्ञा दी जाती है, शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2017 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(रामेश्वर दयाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ